कोटेशन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0 प्र0,लखनऊ के पत्र संख्या 499/सीईओ–4 दिनांक 12 मार्च,2019 में प्राप्त निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.3.2019 के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 में इलेक्ट्रानिकली ट्रान्समीटेड पोस्टल बैलेट के माध्यम से जारी किये जाने वाले मतपत्रों में वापस मतपत्रों की गणना हेतु कुल आठ स्कैनर क्रय किये जाने हेतु इच्छुक फर्मो से दिनांक 25.3.2019 तक कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।कोटेशन में अंकित दरों में सभी कर भी सम्मिलित मानी जायेगीं अलग से किसी भी प्रकार के कर देय नहीं होगा।कोटेशन को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सन्निहित रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0 प्र0,लखनऊ द्वारा निर्धारित मानक एवं स्पेशिफिकेसन के ही स्कैनर क्रय किये जाने है इसलिये निर्धारित स्पेसिफिकेसन के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जा सकेगीं तथा निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक दरें कदापि स्वीकार नहीं होगी । कोटेशन स्वीकृत होने पर संबंधित फर्म को अल्प समय पर ही आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। स्कैनर की सत्यापन/जांच जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,(एन0आई0सी0) से कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जौनपुर।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,जौनपुर

संख्या 1264 /निर्वाचन दिनांक 17 मार्च,2019

प्रतिलिपि–
1– जिला निर्वाचन कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशनार्थ ।
2–विकास भवन/कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(एन0आई0सी0) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन जौनपुर एन0आई0सी0 पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–स्थानीय फर्म स्वामियों को ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जौनपुर।